अतिआवश्यक / समयबद्ध

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

Email id – dirudyanhorti@gmail.com

पत्रांक 372 / फसल बीमा–रबी, खरीफ / 2023–24 दिनांकः चौबटियाः 01 मई, 2023

सेवा में,

1. सी.एम.डी. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी इण्डिया लि0, प्लेट बी और सी, 5 वीं मंजिल, ब्लॉक 1, ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली –110023 ।
2. एम.डी., सी.ई.ओ. आई.सी.आई.सी.आई.,लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 आई.सी.आई.सी. आई.लोम्बार्ड, हाउस, 414–वीर सावरकर मार्ग, नीयर सिद्धीविनायक टेम्पल प्रभादेवी, मुम्बई 400025।
3. एम.डी. इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, इफको टावर II, 5TH फ्लोर, प्लॉट नम्बर–3, सेक्टर–29, गुडगांव–122001।
4. मैनेजिंग डायरेक्टर, एच0डी0एफ0सी0 इरगो इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 6जी जी फ्लोर, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुरला रोड, अन्धेरी(ई), मुम्बई–400059।
5. एम.डी. चौलामण्डलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, डेरा हाउस, 2nd फ्लोर, न0–2 एन.एस.सी.बोस रोड, चेन्नई 600001।
6. नेशनल हैड–रूरल बिजनेस, टाटा ए0 आई0 जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ए–501, 5th फ्लोर, बिल्डिंग न0–4 इनफिनिटी पार्क, दिनदोशी, मलाड(ई) मुम्बई–400097।
7. एम.डी., सी.ई.ओ., फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इण्डियाबुल्स फाइनेंस सेन्टर टावर–3 6th फ्लोर सेनापती बापत मार्ग, एलफिन्नस्टोन (W) मुबंई 400013।
8. एक्सक्यूटिव डायरेक्टर,– सी.ई.ओ., रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स सेन्टर, 19 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, बलार्ड स्टेट मुम्बई।
9. मैनेजिंग डायरेक्टर एण्ड चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर,बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जीई प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा पूना–411006
10. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यूनिवर्सल सोम्पू जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनिट नम्बर 401, चतुर्थ तल, संगम कॉम्पलैक्स,127 अन्धेरी कुरला रोड़, अन्धेरी ईष्ट मुम्बई–400059
11. नेशनल मैनेजर–प्रोडक्ट डेवलेपमेन्ट एस.बी.आई.जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नटराज (101, 201–301) जंगशन ऑफ वैस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे एण्ड अन्धेरी कुरला रोड़, अन्धेरी ईष्ट मुम्बई–400069
12. मैनेजर डायरेक्टर, श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, ई–8, ई. पी . आई. पी., आर . आई, आई. सी. ओ. इन्डसट्रियल एरिया, सीतापुर, जयपुर, राजस्थान–302022
13. सी.एम.डी., यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, 24, वाईटस रोड़, चेन्नई–6000114
14. सी.एम.डी., नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकत्ता–700071
15. सी.एम.डी., ओरियन्टल इंश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड, ओरियन्टल हाउस, पोस्ट बाक्स न. 7037, ए–25 / 27, आसिफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002
16. सी.एम.डी., न्यू इण्डिया अश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड, 87, एम.जी.रोड़ फोर्ट मुम्बई–400001
17. सी.एम.डी., रायल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. विश्रान्थी मेलाराम टावर नम्बर 2 / 319, राजीव गांधी सेलाई (ओएमआर), करापक्कम चेन्नई–600097।
18. मैनेजिंग डायरेक्टर, गो डिजिट, जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लि0, 1st जव 6th फ्लोर, अनन्ता एक, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र–411005

कमशः–2

विषय– पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(**Re-Structured Weather Based Crop Insurance Scheme**) को मौसम खरीफ 2023 से रबी 2025–26 तक जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल पर्वतीय, नैनीताल मैदानी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून पर्वतीय, देहरादून मैदानी, हरिद्वार पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी सें संसूचित औद्यानिक फसलों पर लागू करने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 21.04.2023 को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णण के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1/117865/XIII-3/23/1(03)2002TC दिनांक 28.04.2023 में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Re-Structured Weather Based Crop Insurance Scheme) मौसम खरीफ 2023 से रबी 2025–26 तक क्रियान्वित की जानी है। इस क्रम में संबंधित जनपदों से संसूचित फसलों हेतु प्रीमियम दरों के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध सभी बीमा कम्पनियों से सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित प्रारूपों पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द सीमित निविदा दिनांक 16.05.2023 को अपरान्ह 12.00 बजे तक **निदेशक बागवानी मिशन कार्यालय, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून** में प्राप्त की जायेगी, तथा सीमित निविदा प्राप्ति के पश्चात् उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे गठित विभागीय समिति द्वारा सीमित निविदा खोली जायेगी। प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की योजना **"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** के दिशा–निर्देशानुसार होगा।

सीमित निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है:–

1– प्रत्येक फर्म/कम्पनी को कलस्टर के अन्तर्गत प्रत्येक फसल तथा प्रत्येक जनपद हेतु निविदा/प्रीमियम दर देने होगें। यदि प्रतिभागी किसी भी कम्पनी द्वारा फसलवार/जिलेवार किसी भी संबंधित जिले/फसल के संबंध में प्रीमियम दर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निविदा निरस्त मानी जायेगी।

2– बीमा कम्पनी को कलस्टर(कलस्टर–1, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, कलस्टर–2, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, कलस्टर–3, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, कलस्टर–4, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी) के आवंटन हेतु जिलेवार/फसलवार टर्मशीट के अनुसार दिये गये प्रीमियम दर के अनुसार योजना के प्राविधान के क्रम में कलस्टवार भारित औसत(L1) के आधार पर कलस्टर का आवंटन किया जायेगा।

3– उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में कार्यालय का पूरा पता, नोडल अधिकारी का नाम, सम्पर्क, ई–मेल, सीलबन्द लिफाफा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार पत्र लिफाफे के साथ संलग्न करना होगा।

4– आपकी कम्पनी किसी भी राज्य के ब्लैक लिस्टेड नहीं है का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5– बीमा कम्पनी को आई0आर0डी0ए0आई0 में पंजीकरण/नवीनीकरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– विभाग एव चयनित बीमा कम्पनी के बीच अनुबन्ध की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।

7– पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलें, संसूचित इकाई क्षेत्र, फसलवार बीमित राशि का विवरण संलग्नक–B में दी गई है।

8– संसूचति क्षेत्रवार स्वचालित संदर्भित मौसम केन्द्रों का विवरण संलग्नक–C में प्रदान किया गया है।

9– संसूचित क्षेत्रवार तथा फसलवार मौसम खरीफ 2022 एवं रबी 2022–23 की कवरेज का विवरण संलग्नक–E में दी गई है।

10– भारत सरकार के नये दिशा–निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सिंचित/असिंचित जनपदों को संलग्न Annexure-F को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम दरें उपलब्ध करायी गयी हैं।

11– बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत समस्त डाक्यूमेन्ट पर बीमा कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर होनी अनिवार्य है।

क्रमशः–3

12– राज्य संबंधित मौसम के प्रारम्भ से पहले अधिसूचित सूची के फसलों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो कुल प्रीमियम फसल क्षेत्रफल/संसूचित क्षेत्र की कुल संख्या का 10% से कम होगा।

13– विभाग द्वारा फसलवार एवं जिलेवार प्रेषित टर्मशीट के फाइनेंसियल बिड टेबल में प्रस्तावित प्रीमियम दर (प्रतिशत में तथा दशमलव के दो अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए) अंकित करना होगा। फाइनेंसियल बिड टेबल संलग्नक–J में दी गई है।

14– योजना का क्रियान्वयन /प्रचार–प्रसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

15– बीमा कम्पनी द्वारा टर्म शीट के अनुसार निश्चित मौसम केन्द्र निर्धारित स्थान तथा निर्धारित संख्या में स्थापित/व्यवस्थित करने होगें। जिस पर होने वाले व्ययभार सम्बन्धित चयनित बीमा कम्पनी को स्वयं वहन करना होगा।

16– सीमित निविदा आमंत्रण हेतु निविदा डाक्यूमेन्ट ईमपैनल्ड बीमा कम्पनियों को ई–मेल द्वारा भेजा जा रहा है। अगर ई–मेल से कोटेशन डाक्यूमैन्ट प्राप्त नही होते है, तो बागवानी मिशन कार्यालय, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में डाक्यूमेंट प्राप्त किया जा सकता है।

17– चयनित बीमा कम्पनी को अधिसूचना के पश्चात् दस दिन के भीतर चयनित कलस्टर के प्रत्येक जनपद/ब्लॉक में अपना प्रतिनिधि नामित कर नाम, पता, फोन नं0 की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना अनिवार्य है।

18– किसी भी विवाद की स्थिति में भारत सरकार के मार्ग–निर्देशों के अनुसार निदेशक, उद्यान को कार्यवाही करने/निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

19– सीमित निविदा की टर्म शीट संलग्न है। निविदा को विभाग की वेबसाइट shm.uk.gov.in के टेंडर सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(डा0हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक

पत्रांक– /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2– संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(डा0हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक